Result Mitra Daily Magazine

Punjab aur Haryana Ucch Nyayalay Dwara Prati Vyakti Ek SIM Card

हालिया संदर्भ-

- हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने केन्द्र से एक व्यक्ति को कई प्रीपेड सिम कार्ड जारी करने संबंधी व्यवस्था की निगरानी और विनियमन का प्रयास तेज करने का आग्रह किया है।
- भारत में बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी के बीच पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है।

क्या है मामला

- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी न्यायालय द्वारा सुमित नंदवानी बनाम हरियाणा राज्य मामले में था।
- न्यायालय ने सुमित नंदवानी की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
- सुमित नंदवानी 'ऑनलाइन धोखाधड़ी' के एक मामले में वर्तमान में हिसार की सेंट्रल जेल में बंद है।
- दरअसल पिछले वर्ष सुमित नंदवानी ने एक व्यक्ति को 'व्हाट्सएप' संदेश के माध्यम से घर का काम करते हुए 'पैसा' कमाने के बारे में पूछा गया था।

- सुमित नंदवानी ने पीड़ित व्यक्ति को पहले पैसा जमा करने के लिए कहा जिसके किए उन्हें उच्च रिटर्न प्राप्त होने की बात कही गई।
- आरोपित ने पीड़ित के साथ विश्वास हासिल कर उसे आगे और पैसा जमा करने के लिए प्रेरित किया।
- अंततः आरोपित ने पीड़ित के साथ 8 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया।
- हरियाणा पुलिस को इस मामले की जाँच में सुजित नंदवानी से जुड़े कई बैंक खाते और मोबाइल नंबर मिले।
- आरोपित के पास से हरियाणा पुलिस को ऑनलाइन घोटाले को अंजाम देने के लिए उपयोग किए गए 35 सिम कार्ड प्राप्त हुआ।
- हरियाणा पुलिस के अनुसार आरोपित ने एक 'पॉइंट ऑफ सेल एजेंट' के रूप में काम करते हुए घोटाले में इस्तेमाल कई सिम कार्ड नंबरों को सक्रिय किया और उन्हें अलग-अलग लोगों के नाम पर पंजीकृत किया।

कोर्ट का फैसला-

- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुमित नंदवानी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया।
- कई सिम कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन धोखेधड़ी की इस घटना ने न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की एकल न्यायधीश पीठ को यह पूछने के लिए प्रेरित किया कि 'कोई भी सरकारी उपाय व्यक्तियों को एक प्रीपेड सिम कार्ड का उपयोग करने के लिए प्रेरित क्यों नहीं करता'।
- न्यायमूर्ती अनूप चितकारा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सुझाव दिया कि प्रति व्यक्ति को एक से अधिक सिम कार्ड जारी नहीं किया जाना चाहिए।
- अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में 'साइबर अपराध के व्यापक खतरे' के बारे में बात करते हुए कहा कि साइबर अपराधी एक से अधिक सिम कार्ड का उपयोग करके 'पीड़ितों की एक निश्चित संख्या का शोषण करके अपने सिमकार्ड को या तो त्याग देते हैं या निष्क्रिय कर देते हैं और अपने अगले काम को जारी रखने के लिए आसानी से नए सिम कार्ड प्राप्त कर लेते हैं।
- अदालत ने इस बात पर हैरानी जाहिर की कि कैसे आरोपित अपने पहचान पत्रों के अलावा अनजाने व्यक्तियों के पहचान पत्र के तहत अक्सर धोखेबाजी से प्रीपेड सिम कार्ड प्राप्त कर लेते हैं।
- अदालत ने दूरसंचार मंत्रालय से सवाल करते हुए पूछा कि किसी भी व्यक्तियों, फर्मों या कम्पनियों को उनके नाम के तहत कई प्रीपेड सिम कार्ड हासिल करने की अनुमति क्यों दी जाती है।
- अदालत ने कहा चूंकि आधार कार्ड विशेष रूप से ओटीपी पीढी के लिए एक ही सिम कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो कई प्रीपेड सिम कार्ड जारी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

Result Mitra

- अदालत ने कहा कि प्रति व्यक्ति एक प्री-पेड सिम कार्ड तक सीमित करने से 'साइबर अपराध' को काफी हद तक कम करने में सफलता मिल सकती है।

सिम कार्ड सम्बन्धी मामले में क्या कहता है कानून

- वर्ष 2001 के संसद हमलों से संबंधित मामले की वर्ष 2005 में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले पहचान सत्यापन के बिना सिम कार्ड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- ज्ञातव्य हो कि संसद हमले में आरोपित आतंकवादियों ने
- असत्यापित सिम कार्ड से बड़ी मात्रा में फोन कॉल की थी।
- वर्ष 2006 और 2009 में भारतीय संचार मंत्रालय के तहत आने वाले दूरसंचार विभाग (DOT) में अधिसूचना जारी करके प्री एक्टिवेट सिम कार्ड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- प्री एक्टिवेट सिम कार्ड को खरीदने के लिए किसी आईडी प्रूफ या फार्म की आवश्यकता नहीं होती थी जिसे फोन में डालने के तुरंत बाद सक्रिय किया जा सकता था।
- वर्ष 2012 के अभिषेक गोयनका बनाम भारत संघ (2012) के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायधीशों की एक पीठ ने सिम कार्ड जारी करने वाले दूरसंचार कंपनियों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार को एक संयुक्त विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया।
- इसके तहत चार महीने बाद केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाली दूरसंचार मंत्रालय ने एक परिपत्र के माध्यम से निर्देश जारी कर एक व्यक्तिगत ग्राहक (स्थानीय, बाहरी या विदेशी) के लिए अपने नाम पर अधिकतम 'नौ सिम कार्ड' कनेक्शन देने का निर्देश दिया गया।
- हालांकि जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति छः सिम कार्ड कनेक्शन को निर्धारित किया गया।
- इस निर्देश के तहत ग्राहक को सिम कार्ड आवेदन फार्म भरते समय पहले से मौजूद सिम कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य किया गया।

सिम कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना-

- सुप्रीम कोर्ट ने के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2018) मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाते हुए कहा कि 'आधार' किसी व्यक्ति के निजता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है।
- इसलिए 'आधार' को सिम कार्ड से जोड़ना अनिवार्य नहीं किया जा सकता।
- हालांकि भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम - 2023 की धारा 3 (7) में सिम कार्ड जारी करने वाली इकाई को किसी भी सत्यापन योग्य बायोमेट्रिक आधारित पहचान का उपयोग करके उस व्यक्ति की पहचान कर सिम कार्ड जारी करने की अनुमति देता है।

Result Mitra

- चूंकि भारत में इस समय एकमात्र बायोमेट्रिक आधारित पहचान सिर्फ 'आधार' ही है इसिलिए ऐसा माना जा सकता है कि सिमकार्ड खरीदने सहित किसी भी दूर-संचार सेवाओं का लाभ पाने के लिए 'आधार' अनिवार्य है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)

- Telecom Regulatory Authority of India, TRAI) यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण भारत में दूर-संचार पर नियंत्रण हेतु एक नियामक प्राधिकरण है।
- TRAI की स्थापना 28 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम-1997 के माध्यम से की गई थी जिसे वर्ष 2000 में संशोधित किया गया।
- यह एक वैधानिक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करने के अलावा भारत में दूरसंचार के विकास के लिए परिस्थितियां सृजित करना है।
- TRAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- भारत का दूर-संचार नेटवर्क एशिया में दूसरा तथा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है।

Result Mitra